

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

20/2/2021

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-1-7/2018

66

/पटना दिनांक-


1. विभागीय पत्रांक-2883 दिनांक-08.03.2017 में संसूचित निर्णय के आलोक में निम्नांकित कनीय अभियंताओं को कार्यरहित में उनके पदस्थापित कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखाओं का अतिरिक्त प्रभार अद्योलिखित रूप से अगले आदेश तक दिया जाता है:-

(i) श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह (गृह जिला-समस्तीपुर), कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, महुआ, कार्य प्रशाखा, पातेपुर-2 को अपने कार्यों के अतिरिक्त उसी कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखा, महुआ-2 एवं 3 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

(ii) श्री संतोष कुमार (गृह जिला-बक्सर), कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1, कार्य प्रशाखा, बहादुरपुर-1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त उसी कार्य प्रमंडल के रिक्त कार्य प्रशाखा, बहादुरपुर-3 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. पूर्व में निर्गत उक्त से संबंधित आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख।


ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-7/2018

1007

/पटना दिनांक- 20/2/2021

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 एवं महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश है कि आदेश निर्गत की तिथि से संबंधित कनीय अभियंता को अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्राप्त उक्त कार्य प्रशाखा का प्रभार निश्चित रूप से दिलाया जाना/सौंपना सुनिश्चित करें।



अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-7/2018

1007

/पटना दिनांक- 20/2/2021

प्रतिलिपि:-संबंधित सभी कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-7/2018

1007

/पटना दिनांक- 20/2/2021

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख।